



प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

खंडपीठ

कोरम: माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधिपति

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

विविध अपील संख्या 388/1998

अपीलार्थीगण/आवेदकगण:

1. श्रीमती नजमुन बाई, आयु 30 वर्ष, पति स्व. मैइनुद्दीन, व्यवसाय-गृहणी,
2. सलामुद्दीन, आत्मज स्वर्गीय मैइनुद्दीन, आयु 10 वर्ष, अवयस्क
3. मोहम्मद जाफर, आत्मज स्वर्गीय मैइनुद्दीन, आयु 8 वर्ष, अवयस्क
4. कु. रुखसत, पिता स्वर्गीय मैइनुद्दीन, आयु 6 वर्ष, अवयस्क
5. श्रीमती सुगरा बी, पति स्व. इमानुद्दीन, आयु 50 वर्ष

अवयस्क अपीलार्थी क्रमांक 2, 3 एवं 4 की ओर से श्रीमती नजमुन बाई माता एवं प्राकृतिक संरक्षक के रूप में

सभी निवासी नेहरू नगर, टिकरापारा, रायपुर (म.प्र.)

विरुद्ध

प्रत्यर्थीगण:

1. संजय देवांगन, आयु लगभग 22 वर्ष, पिता अज्ञात, निवासी इमली भाटा, महासमुंद, जिला रायपुर (म.प्र.)



.....(चालक)

2. कमलेश चंद्राकर, आयु लगभग 27 वर्ष, आत्मज बी.एल. चंद्राकर, निवासी कॉलेज रोड, महासमुंद, जिला रायपुर (म.प्र.)

.....(स्वामी)

3. द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शाखा कार्यालय श्याम मार्केट, जीवन बीमा मार्ग, पंडरी, द्वारा मंडल प्रबंधक, मंडल कार्यालय, कचहरी चौक, रायपुर (म.प्र.)

.....(बीमा कंपनी)

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अंतर्गत अपील

उपस्थित:

श्री एस.सी. वर्मा, अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी क्रमांक 1 एवं 2 की ओर से कोई नहीं।

श्री वी.आर. तिवारी, प्रत्यर्थी क्रमांक 3 के विद्वान अधिवक्ता।

आदेश

(दिनांक 05 फरवरी, 2008 को पारित)

यह मोटर वाहन अधिनियम की धारा 173 के अंतर्गत दावेदारों की अपील है जो सातवें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रायपुर द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 145/95 में अधिनिर्धारित प्रतिकर में वृद्धि हेतु प्रस्तुत की गई है।

2) दावेदार जो मृतक मैइनुद्दीन की विधवा, अवयस्क बच्चे और माता थे, उन्होंने दिनांक 19.03.1995 को हुई मोटर दुर्घटना में उनकी मृत्यु के लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के अंतर्गत दावा याचिका दायर कर 7,50,000/-



रुपये की प्रतिकर की मांग की थी, जब जीप पंजीकरण क्रमांक एम.पी. 23 डी/2641, जिसमें वह यात्रा कर रहे थे, जीप चालक द्वारा वाहन को उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक चलाने के कारण एक अज्ञात ट्रक के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके परिणामस्वरूप मैइनुद्दीन की घटना स्थल पर ही तत्काल मृत्यु हो गई थी। दावेदारों ने आगे यह अभिवचन किया कि मृतक मैइनुद्दीन 80/- रुपये प्रतिदिन अर्जित करता था।

3) जीप के स्वामी, चालक और बीमाकर्ता ने दावे का विरोध किया और दावेदारों को प्रतिकर का संदाय करने के अपने दायित्व से इनकार किया। जीप के स्वामी और चालक ने यह तर्क दिया कि दुर्घटना ट्रक चालक की लापरवाही के कारण हुई थी। बीमा कंपनी ने भी यह अभिवचन किया कि दुर्घटना ट्रक चालक द्वारा वाहन को उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक चलाने के कारण हुई थी। यह भी आगे अभिवचन किया गया कि जीप का परिचालन बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन में किया जा रहा था।

4) दावेदारों ने साक्षी अभि.सा./1 नजमुनबाई और अभि.सा./2 मोहम्मद अकरम का परीक्षण कराया, जबकि जीप के स्वामी, चालक और बीमाकर्ता ने प्रतिवाद में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया।

5) अधिकरण ने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के सूक्ष्म परिशीलन पर यह अभिनिर्धारित किया कि मृतक मैइनुद्दीन की मृत्यु दिनांक 19.03.1995 को मोटर



दुर्घटना में आई चोटों के कारण हुई थी; दुर्घटना जीप के चालक द्वारा वाहन को उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक चलाने के कारण हुई थी; और चूंकि जीप प्रत्यर्थी बीमा कंपनी अर्थात् ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पास बीमित थी, अतः वह दावेदारों को प्रतिकर का संदाय करने के लिए उत्तरदायी थी।

6) चूंकि मृतक की आय के संबंध में दावेदारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य विश्वसनीय नहीं पाए गए, अधिकरण ने मृतक की आय 1,250/- रुपये प्रति माह आंकी और दावेदारों की निर्भरता 1,000/- रुपये प्रति माह तथा 12,000/- रुपये प्रति वर्ष निर्धारित की गई।

7) यह देखते हुए कि दुर्घटना की तिथि पर मृतक की आयु लगभग 35-40 वर्ष थी, अधिकरण ने गुणक 15 का चयन किया। 12,000/- रुपये की वार्षिक निर्भरता को 15 के गुणक से गुणा करने पर प्रतिकर की राशि 1,80,000/- रुपये निकल कर आई। अन्य अनुज्ञेय मदों के अंतर्गत 7,500/- रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान करते हुए अधिकरण ने मैइनूद्दीन की मृत्यु के लिए दावेदारों को कुल 1,87,500/- रुपये की प्रतिकर अधिनिर्धारित की। अधिकरण ने आवेदन की तिथि से वास्तविक संदाय की तिथि तक 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी प्रदान किया।

8) अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.सी. वर्मा ने पुरजोर तर्क दिया कि अधिकरण ने मृतक की आय के संबंध में दावेदारों के साक्ष्य को स्वीकार न



करने में; मृतक की आय 1,250/- रुपये प्रति माह आंकने में; और केवल 1,87,500/- रुपये की कम प्रतिकर अधिनिर्धारित करने में भूल की है।

9) प्रत्यर्थी क्रमांक 3 ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के विद्वान अधिवक्ता श्री वी.आर. तिवारी ने विपरीत अधिनिर्णय का समर्थन किया और यह तर्क दिया कि अधिकरण द्वारा प्रदत्त 1,87,500/- रुपये का प्रतिकर वर्तमान प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायोचित और उचित प्रतिकर है।

10) अधिकरण द्वारा दर्ज किए गए ये निष्कर्ष कि मृतक मैइनुद्दीन की मृत्यु दिनांक 19.03.1995 को मोटर दुर्घटना में आई चोटों के कारण हुई थी; दुर्घटना जीप के चालक द्वारा वाहन को उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक चलाने के कारण हुई थी; और यह कि बीमा कंपनी दावेदारों को प्रतिकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी, अब अंतिम हो चुके हैं क्योंकि प्रत्यर्थीगण ने अधिनिर्णय के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की है। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त तथ्यों को स्थापित करने के लिए अभिलेख पर अत्यधिक साक्ष्य उपलब्ध हैं। अतः, हम उस संबंध में अधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं।

11) यह सत्य है कि दावेदारों ने अभिवचन किया था कि मृतक मैइनुद्दीन 80/- रुपये प्रतिदिन कमाता था, किंतु उक्त अभिवचन के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य निर्णायक प्रकृति का नहीं था। साक्ष्य की इस स्थिति में, हमें अधिकरण द्वारा मृतक की आय का आकलन 1,250/- रुपये प्रति माह करने में कोई त्रुटि नहीं मिलती है।



12) अधिकरण मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के मद में केवल 250/- रुपये प्रति माह घटाने और दावेदारों की निर्भरता 1,000/- रुपये प्रति माह और 12,000/- रुपये प्रति वर्ष आंकने में काफी उदार रहा है।

13) अधिकरण द्वारा चयनित 15 का गुणक, यह देखते हुए कि मृतक की आयु लगभग 35-40 वर्ष थी और दावेदार क्रमांक 1 श्रीमती नजमुनबाई की आयु 30 वर्ष दर्शायी गई थी, हमारे विचार में, उपयुक्त है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

14) अतः, हमें अधिकरण द्वारा अधिनिर्धारित प्रतिकर में वृद्धि की कोई गुंजाइश नहीं दिखती है, चाहे वह मृतक की आय के आकलन के आधार पर हो या दावेदारों की निर्भरता पर या चयनित गुणक पर हो।

15) प्रकरण के इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, प्रतिकर में वृद्धि के लिए दावेदारों द्वारा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 173 के अंतर्गत दायर की गई अपील खारिज होने योग्य है और एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

16) वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

सही/-
मुख्य न्यायाधिपति

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)



अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

